

(13)

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
अथवा
अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

14. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए)

Recommended for Approval.

हस्ताक्षर

दिनांक:- 21-6-2017
स्थान :-

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980
उ० प्र०, लखनऊ।

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)
राज्य सरकार की सिफारिश।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षर

दिनांक:-
स्थान :-

नाम और पदनाम
सरकारी मोहर